राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक : प.1(47) स.नि.अ./प्रति.नियम/2005/534 दिनांक : 20/9/2006

कार्यालय – आदेश

"सूचना का अधिकार" अधिनियम–2005 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन के लिये फीस एवं लागत अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (3) (4) (5) अनुसार निम्नांकित है :–

1. सूचना अभिप्राप्त करने के लिये अनुरोध दस रूपये आवेदन फीस के साथ होगा, जो समुचित रसीद के विरूद्ध नकद के प्राप्त रूपये या देय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में होगा, जो राजस्थान आवासन मण्डल (लोक प्राधिकरण) को संदेय होगा।

2. राजस्थान आवासन मण्डल (लोक प्राधिकरण) के मुख्यालय, वृत, खण्ड एवं उपखण्ड कार्यालय में तैयार कर कागज प्रतिलिपि (ए–4 या ए–3 आकार) प्रति पृष्ठ दर दो रूपये है। मुद्रित प्ररूप में दी गई सूचना के लिये उस प्रकाशन को नियत कीमत पर उपलब्ध करायें।

3. बड़े आकार के कागज में किसी प्रतिलिपि का वास्तविक प्रभार या लागत या कीमत।

4. नमूनों (बानगी) या मॉडलों के लिये वास्तविक लागत या कीमत।

5. डिस्केट या फ्लॉपी में सूचना उपलब्ध कराने के लिये प्रति डिस्केट/फ्लॉपी पचास रूपये लागत, कीमत है।

6. अभिलेखों के निरीक्षण के लिये पहले घण्टे के लिये कोई फीस नहीं और प्रत्येक पश्चात्वर्ती घण्टे के लिये पाँच रूपये फीस है।

उपरोक्तानुसार पदाभिहित (Designate) लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन की फीस एवं लागत देय होने पर संग्रहित वांछित दस्तावेज/नमूना/इलेक्ट्रोनिक रूप में सूचना आवेदक को उपलब्ध करावें।

पूर्व में जारी कार्यालय आदेश क्रमांक 267 दिनांक 27.2.2006 एवं परिपत्र क्रमांक 274 दिनांक 04/3/2006 की बिन्दु संख्या 17 व 18 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधान अन्तर्गत निरसित (Repealed) किया जाता है।

मुख्यालय सहित वृत्त खण्ड एवं उपखण्ड कार्यालय में लोक सूचना अधिकारी /सहायक लोक सूचना अधिकारी आदेश क्रमांक 520 दिनांक 12.9.2006 के तहत

पदाभिहित (Designate) किये जा चुके है। इसी प्रकार इनके (PIOs, APIOs) दायित्व एवं कार्यो का परिपत्र क्रमांक 521 दिनांक 12.9.2006 संलग्न कर भेजा जा चुका है। जारी आदेश/निर्देशों की पालना सभी पदाभिहित अधिकारी सुनिश्चित करें।

आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. प्रमुख निजी सचिव–अध्यक्ष राज. आवा. मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव, आवासन आयुक्त, राज. आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता, प्रथम/द्वितीय राज. आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता .... राज. आवासन मण्डल, जयपुर।
5. सचिव/वित्तीय सलाहकार/मुख्य सम्पदा प्रबन्धक विशेषाधिकारी (भूमि)/ निदेशक विधि/वरिष्ठ नगर नियोजक, राज. आवासन मण्डल, जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत्त ....
7. आवासीय अभियन्ता खण्ड ....
8. लेखाधिकारी (भुगतान) राज. आवासन मण्डल, जयपुर।
9. परियोजना अभियन्ता (वरिष्ठ) उपखण्ड ....।
10. समस्त प्रकोष्ठ, मुख्यालय ....
11. संबंधित / रक्षित पत्रावली ....

सचिव